I/425231/2023

संख्या–2477/नौ–7–2023

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक :09 नवम्बर, 2023

विषयः निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट के निस्तारण आदि में प्रयुक्त मशीनरी के अनुरक्षण के लिये रोस्टर सिस्टम लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप सभी अवगत है कि नगरीय क्षेत्रों में साफ–सफाई व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, ठोस अपशिष्ट का निस्तारण, सीवर सफाई एवं पथ प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित करना निकायों का अनिवार्य कर्तव्य है। समय–समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान के विषयगत निर्देश निर्गत किये गये है।

2. प्रायः यह देखा जाता है कि उपर्युक्त कार्यों में प्रयुक्त मशीनरी के खराब होने के कारण निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था, कूड़े का उठान, सीवर की सफाई, पथ प्रकाश व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट निस्तारण आदि का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिये यह आवश्यक है कि मशीनरी के अनुरक्षण की व्यवस्था उनके खराब होने के पूर्व ही कर ली जाय, ताकि उपर्युक्त कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। इस संबंध में कदाचित नगर निगम, वाराणसी द्वारा मशीनरी के अनुरक्षण के लिये उनका हेल्थ चेकअप कराये जाने हेतु रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है, ताकि खराब होने से पूर्व ही उनका अनुरक्षण किया जा सके।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था, कूड़े का उठान, सीवर की सफाई, पथ प्रकाश व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट निस्तारण आदि में प्रयुक्त मशीनरी के खराब होने से पूर्व ही अनुरक्षण के लिये उनका हेल्थ चेकअप कराये जाने हेतु रोस्टर प्रणाली को अपने निकायों में लागू कराने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त निकायों में राजस्व के संग्रहण से संबंधित कार्मिकों के लिये ड्रेस कोड निर्धारित करने के संबंध में भी विचार करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by अजय कुमार शुक्ला
Date: 09-11-2023 19:08:03
Reason: Approved

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।